राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141–2372237

क्रमांकः–एफ 4 (14)रा.आ. / स्था. / च.श्रे.कर्म. / 2025 / 1911 दिनांकः 15-09-2026

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(1) प्र.सु. / अनु–3 / 2024–07601 दिनांक 08.07.2026 एवं दिनांक 12.08.2026 में दिये गये दिशा निर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 में चयनित अभ्यर्थियो में से इस विभाग को आवंटित गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्न अभ्यर्थियों को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1999 के अन्तर्गत अस्थायी आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 12,600 / – प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् परीवीक्षाकाल अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के पे–मैट्रिक्स के लेवल L-2 में निम्नांकित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्त किया जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित अधीनस्थ जिला आयोग में एतद्द्वारा किया जाता है:–

SL. No.	Rank	Roll No.	Candidatge Name	Father's Name	Gender	DOB	Cat.	H_Cat.	Sel_Cat	पदस्थापन स्थान
1.	44709	2859244	MAYA KUMARI GURJAR	SHANKAR LAL GURJAR	FEMALE	21.07.2004	MBC		MBC_ARD	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, **चित्तौडगढ**
2.	798787	1444624	KAVITA KANWAR	SHAJAD	FEMALE	12.08.1988	EWS	WID	EWS_ARD	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, **अजमेर**

शर्ते :–

1. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा– मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें।
2. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन उक्त भर्ती से संबंधित विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयो के अध्ययधीन रहेगी।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होगें।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानो के अनुसार देय होगें।
5. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतनवृद्वि देय नही होगी।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषजनक नही पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. **आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अभ्यर्थियों को अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा।** किसी कारणवश उक्त समयावधि में कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो उक्त समय अवधि में अभिवृद्वि हेतु पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति लेनी होगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
8. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में कार्यरत है तो उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगे। परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उक्त सम्बन्ध में यदि इस नियुक्ति आदेश के जारी होने के 15 दिवस में पूर्व कार्यरत विभाग से कार्यमुक्ति / त्यागपत्र स्वीकृति आदेश प्राप्त नही होने की स्थिति में कार्यग्रहण काल में नियमानुसार अभिवृद्वि हेतु 15 दिवस समाप्ति के 05 दिवस पूर्व प्रार्थना पत्र इस विभाग को भिजवाना होगा।
9. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो / परिपत्रो के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश / परिपत्र लागू होगें।
10. राज्य मे अवस्थित बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजो के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत / उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजो एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रो की सम्बन्धित बोर्डो / विश्वविद्यालयो / संस्थानो से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने / सही सन्दर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति अस्थायी (Provisional)

15/09/2026

राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141–2372237

क्रमांकः–एफ 4 (14)रा.आ. / स्था. / च.श्रे.कर्म. / 2025 / दिनांकः

रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य / मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने का अद्योहस्ताक्षरकर्ता (नियुक्ति अधिकारी) को पूर्ण अधिकार होगा।

11. यदि उक्त अभ्यर्थी के दस्तावेजो में जांच उपरान्त दस्तावेज कूटरचित / फर्जी / मिथ्या पाये जाते है तो कार्यग्रहण के उपरान्त भी इसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवाऐं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
12. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
13. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाऐं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। किसी अभ्यर्थियो के दस्तावेजो में से कोई दस्तावेज / सूचना असत्य / फर्जी पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक / अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा राज्य सरकार / विभाग द्वारा उनकी सेवाऐं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
14. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी।
15. उक्त चयनित अभ्यर्थी के अपने से वरिष्ठ / कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नही पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
16. उक्त अभ्यर्थी की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है, जिन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्यक् सत्यापन पश्चात स्वीकार किया गया है।
17. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

15/09/2025

(राजेश गुप्ता)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः–एफ 4 (14)रा.आ. / स्था. / क.स. / 2025 / 1912 - 1922 दिनांकः 15.09.2025

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चित्तौडगढ़ एवं अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक के कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना विहित अवधि में इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवायें।
7. (1) **MAYA KUMARI GURJAR** D/O SH. SHANKAR LAL GURJAR, VILLAGE- CHOSLA, POST- MOTIPURA, TEH. BEGUN, DISTT. -CHITTORGARH (RAJ.) 312022, M.no- 9509322361, E-mail.Id-mayagurjar023@gmail.com
   (2) **KAVITA KANWAR** D/O SH. SHAJAD, WARD NO.3, PETROL PUMP KE PICHE, NEEM KA THANA, DISTT. SIKAR-332713, M.no- 6375587105, E-mail.Id- ktkavitatanwar@gmail.com
8. लेखा शाखा, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
9. कम्प्यूटर शाखा, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

15/09/2025

(राजेश गुप्ता)
रजिस्ट्रार